पत्रांक/वाई.ई.ए./सम्पत्ति/2024/18684
दिनांकः 04.03.2024

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 79वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या–79/51 दिनांक 29.01.2024 में प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक मद संख्या–58/9 तथा 78वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या–78/51 में अनुमन्य की गयी शून्यकाल अवधि (Zero Period) सुविधा के अनुसार प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड परिसम्पत्तियों हेतु शून्यकाल अवधि (Zero Period) सुविधा अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

शून्यकाल अवधि घोषित किये जाने हेतु परिस्थितियाँ :–

1. न्यायालय के स्थगन आदेश रहने के कारण आवंटन/पट्टा प्रलेख/कब्जे के प्रकिया पर रोक हो अथवा निर्माण कार्य आगे नहीं किया जा सकता हो।
2. शासनादेश/प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पट्टा प्रलेख निस्तारित ना हो सका हो।
3. यदि किसी भूखण्ड का कब्जा दिया जा चुका है तथा पट्टा प्रलेख का निष्पादन भी हो चुका है परन्तु आवंटित भूखण्ड के लिये एक स्पष्ट पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्ग की भूमि पर विधिक कब्जा किन्हीं कारणोंवश प्राप्त नहीं कर पाया हो, जिसके कारण आवंटित भूखण्ड पर निर्माण/विकास किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो। इन प्रकरणों में satellite imagery द्वारा पुष्टि करायी जायेगी, की परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ न हों।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में किसी प्रकरण में शून्यकाल अवधि घोषित किये जाने के फलस्वरूप किश्तों के पुनर्निर्धारण की कार्यवही निम्नानुसार की जायेगी:–

1. यदि किसी भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के लिये कार्यबाधित अवधि का शून्यकाल घोषित किया जाता है तो शून्यकाल अवधि में पड़ने वाली किश्तों को (प्रिमियम+साधारण ब्याज) शून्यकाल की अंतिम तिथि से आगे शिफ्ट कर दिया जायेगा।
2. यदि किसी भूखण्ड के आंशिक भाग के लिये कार्यवाधित अवधि का शून्यकाल घोषित किया जाता है तो आंशिक भाग की किश्तों को उस भूखण्ड के क्लियर क्षेत्रफल की आगामी किश्तों में समाहित करते हुए पुनरीक्षित किश्ते बना दी जायेंगी। आंशिक भाग, जिसके लिये शून्य अवधि घोषित की गयी है, पर आरोपित दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा।

सिद्धान्त–

1. शून्यकाल अवधि की उपरोक्त सुविधा ऐसे आवंटियों/अंतरिकीयों को हीं अनुमन्य होगी, जो निर्धारित समय में परियोजना पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देते हैं और यदि उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के क्रम में निर्धारित समय में अपनी परियोजना पूर्ण नहीं की जाती है तो शून्यकाल अवधि हेतु प्रदान किये गये लाभ को निरस्त किया जायेगा तथा इस हेतु जो भी शून्यकाल अवधि की देयता होगी उसका भुगतान आवंटी/अंतरिकी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा।

2. शून्यकाल की अवधि की मांग करने के पूर्व आवंटी को अतिरिक्त प्रतिकर की समस्त मूल धनराशि जमा करानी होगी। तदोपरान्त हीं आवंटी के शून्यकाल के प्रत्यावेदन पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन आवंटियों द्वारा मा0 न्यायालयों, एन.सी.एल.टी. या अन्य किसी फोरम में वाद दायर किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में वाद वापिस लिये जाने के उपरान्त हीं उक्त सुविधा अनुमन्य की जायेगी।

उपरोक्तानुसार शून्यकाल अवधि (Zero Period) हेतु गठित समिति के द्वारा शून्यकाल के प्रकरण में प्राप्त आवेदनों को गुण–दोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु अपनी संस्तुति/निर्णय हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

(शैलेन्द्र भाटिया)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (के0)/(वी0)/(एस0) महोदय/महोदया को सादर सूचनार्थ।
3 विशेष कार्याधिकारी (एस0के0एस0/आर0डी0/एम0) महोदय के सूचनार्थ।
4 महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना/नियोजन) के सूचनार्थ।
5 विधि अधिकारी के सूचनार्थ।
6 प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से कि विकल्प की सूचना प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
7 स्टाफ आफिसर (मार्केटिंग) को इस आशय से कि उक्त सूचना किन्ही दो राष्टीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8 गार्ड फाइल।

04.03.2024

विशेष कार्याधिकारी